

12वे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 पर मा0विधायक सदर, पुलिस महानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र, गोण्डा, जिलाधिकारी गोण्डा व पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन गोण्डा में आयोजित योगाभ्यास शिविर में सभी अधिकारियों व कर्मियों संग उत्साहपूर्वक योगाभ्यास कर स्वस्थ तन व शांत मन का संकल्प लिया।

गोण्डा। आज दिनांक 21 जून 2026 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मा0विधायक सदर श्री प्रतीक भूषण सिंह, पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र गोण्डा श्री अशोक कुमार शुक्ला, जिलाधिकारी गोण्डा श्रीमती प्रियंका निरंजन एवं पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल की उपस्थिति में रिजर्व पुलिस लाइन गोण्डा में योगाभ्यास शिविर का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के अवसर पर मुख्य अतिथि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री राजेश वर्मा द्वारा दीप प्रज्वलित कर योगाभ्यास कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया। योग प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में उपस्थित सभी अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा विभिन्न प्रकार के योगासन जैसे- पद्मासन, वज्रासन, मत्स्यासन, वक्रासन, अर्ध-मत्स्येन्द्रासन, सूर्य नमस्कार, गोमुखासन, पश्चिमोत्तनासन, उष्ट्रासन, अर्धहलासन, हलासन, सर्वांगासन, पवनमुक्तासन, नौकासन, शवासन, मकरासन, धनुरासन, भुजंगासन, शलभासन, विपरीत नौकासन आदि योगों का अभ्यास किया गया। तत्पश्चात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कोलकाता में आयोजित योगा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण (Live Telecast) पुलिस लाइन गोण्डा स्थित योग शिविर में उपस्थित समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों को दिखाया गया, जिससे सभी ने प्रधानमंत्री जी के अनुशासन, ऊर्जा एवं योग के प्रति समर्पण से प्रेरणा प्राप्त कर नियमित योग अभ्यास का संकल्प लिया तथा उनके अनुकरण हेतु स्वयं को प्रतिबद्ध किया।

मुख्य अतिथि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री राजेश वर्मा द्वारा योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा गया कि "योग भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है, यह न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि मानसिक शांति, अनुशासन और आत्म-संयम भी प्रदान करता है। पुलिस बल जैसे चुनौतीपूर्ण कार्यक्षेत्र में योग अत्यंत उपयोगी है।"

पुलिस अधीक्षक श्री विनीत जायसवाल द्वारा भी योग की उपयोगिता पर बल देते हुए सभी से नियमित रूप से योग को जीवन में अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा "स्वस्थ तन और शांत मन से ही हम जनता की सेवा में पूरी दक्षता और निष्ठा से कार्य कर सकते हैं। योग केवल एक व्यायाम नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है।" कार्यक्रम का उद्देश्य पुलिसकर्मियों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाना तथा उनके तनाव प्रबंधन को सहयोग प्रदान करना रहा।

अंत में सभी उपस्थित जनों ने "नियमित योग, निरोग जीवन" का संकल्प लिया और एकजुट होकर देश की सेवा में अपने कर्तव्यों का पालन करने की प्रतिबद्धता दोहराई। 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम **"Yoga for Healthy Ageing"** है, जिसका तात्पर्य यह है कि बढ़ती उम्र के साथ शरीर, मन और भावनाओं को स्वस्थ बनाए रखना है ताकि व्यक्ति लंबे समय तक स्वतंत्र, ऊर्जावान और रोगमुक्त जीवन जी सके। यह थीम विशेष रूप से आज की तनावपूर्ण जीवनशैली में शरीर को लचीला और मजबूत बनाकर संतुलन, मानसिक शांति, स्मरण शक्ति, अच्छी नींद तथा समग्र शारीरिक-मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है और कई आयु-संबंधी रोगों के नियंत्रण में सहायक होता है, जिससे व्यक्ति न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि समाज और देश के प्रति भी अपनी जिम्मेदारियों का बेहतर निर्वहन कर सके।

इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी/पश्चिमी, क्षेत्राधिकारीगण, प्रतिसार निरीक्षक, थाना प्रभारियों, विभिन्न शाखाओं के अधिकारी/कर्मचारी, प्रशिक्षु आरक्षीगण सहित भारी संख्या में पुलिस बल के सदस्यों व अन्य विभाग के अधिकारी/कर्मचारीगण ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

प्रेस नोट

दिनांक 21.06.2026, थाना को0मनकापुर

जनपद गोण्डा।

थाना को0 मनकापुर पुलिस द्वारा मोबाइल फोन झपटमारी करने वाले 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 मोबाइल फोन(झपटमारी का) व घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद:-

कार्यवाही:-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री अजीत कुमार रजक के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री उदित नारायण पालिवाल के नेतृत्व में थाना को0 मनकापुर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0-258/2026, धारा 304(2) बीएनएस व बढ़ोत्तरी धारा 317(2) बीएनएस से सम्बन्धित प्रकाश में आया आरोपी अभियुक्तगण-01. अंशुल सिंह पुत्र धर्मेन्द्र कुमार सिंह, 02. शिव पुत्र रामलखन को बेलहनिया गांव के मार्ग से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 01 अदद मोबाइल फोन(झपटमारी का) व घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 17.06.2026 को थाना मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत निवासी एक महिला द्वारा थाना को0 मनकापुर को सूचना दी गई कि वह अपने साइकिल से कस्बा मनकापुर (लाइब्रेरी)जा रही थी कि पीछे से मोटरसाइकिल सवार 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा साइकिल के हैंडल करियर में रखे बैग को झपट्टा मार लेकर भाग गये। जिसमें मोबाइल फोन भी था। वादिनी के लिखित तहरीर के आधार पर थाना को0 मनकापुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 21.06.2026 को थाना को0 मनकापुर पुलिस टीम द्वारा विवेचना के दौरान प्रकाश में आये आरोपी अभियुक्तो- 01. अंशुल सिंह पुत्र धर्मेन्द्र कुमार सिंह, 02. शिव पुत्र रामलखन को बेलहनिया गांव के मार्ग से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 01 अदद मोबाइल फोन(झपटमारी का) व घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना को0 मनकापुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. अंशुल सिंह पुत्र धर्मेन्द्र कुमार सिंह, निवासी ग्राम सेमराय थाना राम नगर बाराबंकी।
02. शिव पुत्र रामलखन निवासी तेलवारी बारा थाना राम नगर जनपद बाराबंकी।

अनावरित अभियोग:-

01. मु0अ0सं0-258/2026, धारा 304(2), 317(2) बीएनएस थाना को0मनकापुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 अदद मोबाइल फोन एन्ड्रॉएड POCO C75(झपटमारी का)
02. घटना में प्रयुक्त 01अदद मोटरसाइकिल पल्सर बिना नंबर प्लेट बरामद।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. उ0नि0 कमल किशोर मिश्रा
02. हे0का0 राम मिलन यादव
03. हे0का0 संदीप यादव

मीडिया सेल, गोण्डा।

